

क्रमांक:—एफ.2(242)/डीओआईटीएण्डसी/2022/

जयपुर, दिनांक:

आदेश

राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.15(1) वित्त (नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 और स्पष्टीकरण क्रमांक प.14(88)वित्त(नियम)2008 दिनांक 12.01.2018 एवं प.15(88)FD/Rules/2017 दिनांक 27.02.2022 तथा वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक F.15(1)FD/Rules/2017Pt. दिनांक 30.05.2022 व F.15(1)FD/Rules/2017Pt. दिनांक 06.10.2023 के अनुसरण में निम्नांकित कार्मिक को सूचना सहायक के पद पर 09 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर, उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र एवं संतान संबंधी घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 06 में उल्लेखित दिनांक से सूचना सहायक के पद की प्रथम आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.)/एम.ए.सी.पी. पे मैट्रिक्स के लेवल-10 में स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	मेरिट नं०	सूचना सहायक का नाम	विभाग/कार्यालय का नाम	सूचना सहायक के पद पर प्रथम कार्यग्रहण दिनांक	प्रथम ए.सी. पी.)/एम.ए. सी.पी. देय तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	W-30	श्री त्रिलोक चन्द खंडेलवाल	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति, दौसा,	04.08.2016	04.08.2025	

उपर्युक्त सूचना सहायक का वेतन निर्धारण सम्बंधित कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 के नियम 14 (2) एवं अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 के अनुसार किया जाकर प्रथम आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.)/एम.ए.सी.पी. के आदेश एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि का इन्द्राज नियमानुसार कार्मिक की सेवा पुस्तिका में किया जाना सुनिश्चित किया जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हे:-

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में प्रथम आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.)/एम.ए.सी.पी. स्वीकृत नहीं की गई है।
3. कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.)/एम.ए.सी.पी. देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
4. इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लम्बित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
5. गत 07 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही है।
6. इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावें।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(रामेश्वर लाल सोलंकी)
तकनीकी निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
2. सम्बंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....।
3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
4. सम्बंधित सूचना सहायक.....।
5. सम्बंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

प्रशासनिक अधिकारी